फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 23/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/27) **श्री मांगीलाल रावत बनाम श्री मांगीलाल मीणा के बजाय श्रीमती सुशीला व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.04.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री संजय सेन - वकील अपीलार्थी 2. श्री रविन्द्रसिंह चौहान - वकील प्रत्यर्थी-1 से 5 3. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-6 **अनवान** 1. **श्री मांगीलाल रावत (मीणा) पुत्र श्री परथा रावत (मीणा), निवासी आंगनवाड़ी के पास, भागाखेडी, बिलोदा, डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।** **-अपीलार्थी** **बनाम** **मृतक मांगीलाल मीणा पिता बाबरू के बजायः** 1. **श्रीमती सुशीला पत्नि स्व. श्री मांगीलाल मीणा,** 2. **सुश्री रीना पुत्री स्व.श्री मांगीलाल मीणा जरिये प्राकृतिक सरक्षंक माता श्रीमती सुशीला पत्नि स्व.श्री मांगीलाल मीणा** 3. **श्री विशाल पुत्र स्व.श्री मांगीलाल मीणा जरिये प्राकृतिक सरक्षंक माता श्रीमती सुशीला पत्नि स्व.श्री मांगीलाल मीणा, सभी निवासी भागाखेडी, बिलोदा, डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।** 4. **श्रीमती बदामी पुत्री श्री बाबरू मीणा, निवासी भागाखेडी, बिलोदा, डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।** 5. **श्रीमती वक्तु बाई पत्नि श्री बाबरू मीणा, निवासी भागाखेडी, बिलोदा, डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।** 6. **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।** **-प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला, बप्रकरण संख्या 03/2021 निर्णय दिनांक 14.10.2021 (अनवान मांगीलाल मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार डूंगला)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 27.04.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला, बप्रकरण संख्या 03/2021 निर्णय दिनांक 14.10.2021 (अनवान मांगीलाल मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार डूंगला) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- ● श्री मांगीलाल मीणा पिता बाबरू मीणा, श्रीमती बदामी एवं श्रीमती वक्तु बाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा भानाखेडी में आराजी संख्या 467/68 रकबा 0.7590 हैक्टेयर उनके संयुक्त खातेदारी की होकर राजस्व नक्शा में तरमीम होकर उसी अनुसार काबिज होकर काश्त कर रह है। उक्त भूमि पर उनके द्वारा कांटो की बाड़ मौके पर लगा रखी है, परन्तु वर्ष 2019 में डीएलआरएमपी के तहत तहसील का राजस्व रेकर्ड के अनुसार ऑनलाईन करते समय नक्शों में भूल से उनकी आराजी के दक्षिण पूर्वी कोर्नर के पडौसी खातेदार की आराजी संख्या 464/68 में दर्ज हो गया जिस कारण मौके पर तरमीम को लेकर विवाद की संभावना बनी रहती है, अतः नक्शा ट्रेस को दुरस्त किया जाना न्यायोचित है। ● उपखण्ड अधिकारी, डूंगला द्वारा पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान ग्राम पंचायत बिलोदा में रखी जाकर निर्णय दिनांक 14.10.2021 से उक्त आवेदन स्वीकार करते हुए वांछित इन्द्राज दुरस्ती यानि नक्शें में दुरस्ती के आदेश प्रसारित किये। उक्त निर्णय दिनांक 14.10.2021 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 29.03.2022 को मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का संलग्न किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 23/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/27) **श्री मांगीलाल रावत बनाम श्री मांगीलाल मीणा के बजाय श्रीमती सुशीला व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 05.04.2023 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि आराजी संख्या 464/68 रकबा 1.2650 हैक्टेयर ग्राम भानाखेडी में स्थित है और राजस्व नक्शा अनुसार अपीलार्थी का कब्जा चला आ रहा है। अपीलार्थी के सटमा आराजी संख्या 467/68 है, अपीलार्थी की आराजी संख्या 464/68 रकबा 1.2650 हैक्टेयर भूमि में से 3 बिस्वा भूमि जो आराजी संख्या 467/68 दक्षिणी पूर्व कोर्नर के नक्शें में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि अपीलार्थी उक्त आराजी संख्या 464/68 पर पिछले 50 वर्षों से काबिज है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। चुंकि उक्त निर्णय में अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया, जिससे उसे आक्षेपित निर्णय की जानकारी ससमय नहीं हो सकी और जानकारी प्राप्त होते ही अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। साथ ही अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया और आक्षेपित निर्णय से अपीलार्थी के हित प्रभावित होकर हितबद्ध पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी भी प्रस्तुत किया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलान्ट के कब्जेनुसार संशोधित तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि मौजा भानाखेडी में आराजी संख्या 467/68 रकबा 0.7590 हैक्टेयर प्रत्यर्थीगण के संयुक्त खातेदारी की होकर राजस्व नक्शा में तरमीम होकर उसी अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहा है। उक्त भूमि पर उनके द्वारा कांटो की बाड़ मौके पर लगा रखी है, परन्तु वर्ष 2019 में डीएलआरएमपी के तहत तहसील का राजस्व रेकर्ड के अनुसार ऑनलाईन करते समय नक्शों में भूल से उनकी आराजी के दक्षिण पूर्वी कोर्नर के पडौसी खातेदार की आराजी संख्या 464/68 में दर्ज हो गया जिस कारण मौके पर तरमीम को लेकर विवाद की संभावना बनी रहती है, अतः नक्शा ट्रेस को दुरस्त किया जाना न्यायोचित होने से उसमें सुधार हेतु अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-136 एलआर एक्ट का पेश किया जिस पर तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उसी आधार पर इन्द्राज दुरस्ती का प्रकरण पाये जाने से इन्द्राज दुरस्ती का आदेश पारित किया गया जो पूर्णयता विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

प्रत्यर्थी-तहसीलदार की ओर से उपस्थित राजकीय पेरोकार द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण गुणावगुण पर निस्तारित किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का संलग्न कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति चाही गई। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ उसकी खातेदारी भूमि आराजी संख्या 464/68 रकबा 1.2650 हैक्टेयर के संबंध में जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत की, जिससे यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से प्रभावित व्यक्ति है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया, ऐसे में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आलोच्य अपील मयाद से बाधित पेश की गई है तथा अपील में कारित विलम्ब को क्षमा किए जाने बाबत भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय कारणों के पेश किया है। हमने उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में उभयपक्ष को सुना। अपील विलम्ब से पेश किए जाने के क्रम

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 23/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/27) **श्री मांगीलाल रावत बनाम श्री मांगीलाल मीणा के बजाय श्रीमती सुशीला व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

में कारित विलम्ब को क्षमा किए जाने बाबत पेश प्रार्थना पत्र में जिन कथनों का समावेश किया है, वह संतोषप्रद प्रतीत होते है। तदनुसार अंकित किए गए कथन स्वीकार किए जाने योग्य पाते है। सारांशतः अपीलार्थीगण द्वारा पेश मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को अंदर मयाद शुमार किया जाता है।

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन प्रकट होता है कि प्रत्यर्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आवेदन कर इन्द्राज दुरस्ती-नक्शा तरमीम किये जाने का अनुरोध किया। अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि वह आराजी संख्या 464/68 का रेकार्डेड खातेदार है, साथ ही प्रभावित पक्षकार-अपीलार्थी को कोई सम्मन/नोटिस जारी नहीं किया गया, न ही उनको सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित है। प्रावधित है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई प्रतिकूल आदेश जारी किये जाने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, यह इस प्रकरण में नहीं किया गया जो समर्थन योग्य नहीं है। साथ ही प्रभावित व्यक्ति को पक्षकार संयोजित न करना लोक अदालत एवं प्रशासन गावों के संग अभियान की मूल भावना व उद्देश्यों के विपरित है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-131 के तहत मानचित्र में सुधार के प्रावधान दिये गये है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-136 के तहत नक्शें/मानचित्र में दुरस्ती का आदेश प्रदान किया गया। उपरोक्त स्थिति से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित किये जाने पूर्व संबंधित आराजीयात के वर्तमान खातेदारों के संबंध में अपेक्षित जांच की कार्यवाही नहीं की गई और प्रभावित खातेदार-अपीलार्थी को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया, साथ ही मानचित्र में दुरस्ती के विधिक प्रावधानों का अवलोकन नहीं किया गया, इसलिये यह न्यायालय उचित समझता है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम पर अपेक्षित जांच कर, विधिक प्रावधानों का परिक्षण कर, पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रस्तुत दस्तावेज एवं राजस्व अभिलेख का परिक्षण कर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, डूंगला का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2021 अपास्त कर उपखण्ड अधिकारी, डूंगला को प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम पर अपेक्षित जांच कर, मानचित्र में दुरस्ती के विधिक प्रावधानों का परिक्षण कर, पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रस्तुत दस्तावेज एवं राजस्व अभिलेख का परिक्षण कर नये सिरे से एक माह में निर्णय पारित करें। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया)
I.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर